UPJB010001062026

न्यायालय जनपद न्यायाधीष, अमरोहा

पीठासीन अधिकारीः विवेक (उच्चतर् न्यायिक सेवा)

{JOCODE-UP2012}

संरक्षक वाद सं0–05 सन् 2026

श्रीमती संगीता यादव आयु करीब 37 वर्ष पत्नी स्व0 श्री देवेन्द्र यादव निवासनी मौहल्ला मण्डी चौब, विवेकानान्द नगर तहसील व जनपद अमरोहा।

..... **आवेदिका/संरक्षिका**

बनाम

01. उ0प्र0 राज्य द्वारा जिलाधिकारी जनपद, अमरोहा।

02. दीपिका आयु करीब 19 वर्ष | पुत्रीगण स्व0 श्री देवेन्द्र यादव

03. मानया यादव आयु करीब 17 वर्ष(नाबालिग) |

..... जेरे परवरिश एवं संरक्षिका माता हकीकी श्रीमती संगीता यादव, निवासीगण मौहल्ला मण्डी चौब, विवेकानन्द नगर तहसील व जनपद अमरोहा।

.... **विपक्षीगण**

निर्णय

वर्तमान संरक्षक वाद आवेदिका श्रीमती संगीता यादव की ओर से संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 31 के अंतर्गत उसके अवयस्क पुत्र रोहित के भरण–पोषण एवं शिक्षा के उद्देश्य से उसके नाम मकान को बैंक में बंधक किये जाने की अनुमति हेतु योजित किया गया है।

02. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदिका ने एक मकान जिसका विवरण प्रार्थनापत्र के अंत में दिया गया है, को अपने पुत्र रोहित यादव के नाम से बजरिये बैनामा दिनांकित 07.06.2021 के द्वारा क्रय किया है। आवेदिका का पुत्र राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल, कैलसा रोड अमरोहा में कक्षा 8 में पढ़ता है। वह अपने पुत्र के भरण–पोषण एवं शिक्षा सुचारू रूप से चलाने हेतु मकान जिमन(अ) तहत वादपत्र को बैंक में मोरगेज कर लोन लेना चाहती है।

अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदिका द्वारा कथित मकान को बैंक में बंधक करने की अनुमति चाही गयी है।

Digitally signed by VIVEK AGGARWAL
Date: 2026.07.15 15:03:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

03. विपक्षी संख्या–1 की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता(दीवानी) द्वारा दिनांक 19.03.2026 को प्रार्थनापत्र 26घ प्रस्तुत कर प्रतिवादपत्र प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया है परंतु कोई प्रतिवादपत्र प्रस्तुत नहीं किया।

04. विपक्षी सख्या–2 दीपिका की ओर से अनापत्ति कागज संख्या–18ग प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उसकी माता संगीता यादव ने एक किता मकान एक मंजिला रकबई 165.7 वर्ग मीटर उसके सगे नाबालिग भाई रोहित यादव के नाम दिनांक 07.06.2021 को क्रय किया जिसमें उसकी माता संरक्षिका है। उसके पिता की मृत्यु कोरोना काल में दिनांक 30.04.2021 को हो गयी। उसके नाबालिग भाई रोहित यादव की पढ़ाई–लिखाई व भरण–पोषण के खर्च हेतु उसकी माता रोहित यादव के नाम के मकान को बंधक रखना चाहती है। उसका भाई राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल, कैलसा रोड, अमरोहा में पढ़ाई कर रहा है।

उपरोक्त आधारों पर कथित मकान को बैंक में बंधक किये जाने में अनापत्ति होने का कथन किया गया है।

05. विपक्षी सख्या–3 मानया की ओर से अनापत्ति कागज संख्या–20ग बजरिये अपनी सगी माता/प्रार्थिनी संगीता के द्वारा प्रस्तुत कर विपक्षी संख्या–2 दीपिका के समान कथन करते हुये, कथित मकान को बैंक में बंधक किये जाने में अनापत्ति होने का कथन किया है।

06. आवेदिका श्रीमती संगीता यादव की ओर से घोषणा पत्र कागज संख्या–7ग इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वह घोषणा करती है कि वह नाबालिग रोहित यादव की सगी माता है। उसके द्वारा उक्त संरक्षक वाद अपने पुत्र रोहित यादव के नाम की सम्पत्ति एक किता मकान जिमन 'अ' तहत वादपत्र को बंधक करने की अनुमति हेतु योजित किया गया है। वह सम्पत्ति जिमन 'अ' को बंधक करने की अनुमति प्रदान की जाने की दशा में वह सम्पत्ति की सुरक्षा करेगी तथा बंधक द्वारा प्राप्त धनराशि को अपने अवयस्क पुत्र के भरण–पोषण व शिक्षा पर खर्च करेगी, उसका दुरूपयोग नहीं करेगी। वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जिससे उसके नाबालिग पुत्र के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। घोषणापत्र गवाहन फरहा व फैजान द्वारा प्रमाणित किया गया है।

07. आवेदिका श्रीमती संगीता यादव की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची 5ग से स्वयं का वचन पत्र कागज संख्या–6ग, घोषणा पत्र कागज संख्या–7ग, छाया प्रति बैनामा कागज संख्या–9ग/2–9, राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल द्वारा रोहित यादव का पहिचान पत्र कागज संख्या–10ग/4, जन्म् प्रमाणपत्र दीपिका कागज संख्या–10ग/1, जन्म् प्रमाण पत्र मानया यादव कागज संख्या–10ग/2 तथा जन्म् प्रमाण पत्र रोहित यादव कागज संख्या–10ग/3, मृत्यु प्रमाण पत्र धमेन्द्र यादव कागज संख्या–11ग/1 तथा उपजिलाधिकारी, अमरोहा द्वारा जारी परिवार सत्यापन रिपोर्ट कागज संख्या–12ग प्रस्तुत की गयी है। सूची 24ग से रोहित यादव के राधा कृष्ण सीनियर सेकेण्ड्री पब्लिक स्कूल में कक्षा आठ में अध्ययनरत होने का प्रमाणपत्र 25ग/1, मानया के श्री सांई बाबा इंटर कालिज में कक्षा बारह

में अध्ययनरत होने का प्रमाणपत्र कागज संख्या–25ग/2 तथा बैंक स्टेटमेंट कागज संख्या–25ग/3–5 प्रस्तुत किया गया है।

इसके अतिरिक्त मौखिक साक्ष्य में आवेदिका श्रीमती संगीता यादव ने पी0डब्ल्यू01 के रूप में स्वयं को परीक्षित कराया है।

08. उभय–पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

09. पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि अवयस्क रोहित यादव के पिता स्व0 देवेन्द्र यादव की मृत्यु, मृत्यु प्रमाणपत्र कागज संख्या–11ग/1 के अनुसार, दिनांक 30.04.2021 को होना वर्णित है।

10. आवेदिका श्रीमती संगीता यादव सी0डब्ल्यू01 द्वारा अपने साक्ष्य में कथन किया गया है कि उसने एक किता मकान दिनांक 07.06.2021 को अपने नाबालिग पुत्र रोहित यादव के नाम से क्रय किया था, जिसका क्षेत्रफल 165.27 वर्ग मीटर है। आवेदिका के पति देवेन्द्र यादव की मृत्यु कोरोना काल में हो चुकी है। आवेदिका का नाबालिग पुत्र रोहित कक्षा आठ में पढ़ता है तथा नाबालिग पुत्री मानया बारहवीं कक्षा में पढ़ती है। उसके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। उसने जो प्रोपर्टी अपने नाबालिग पुत्र रोहित के नाम 11,00,000/– रूपये में क्रय की थी। उसे बैंक में बंधक करके अपने बच्चे की पढ़ाई–लिखाई एवं भरण–पोषण पर खर्च करना चाहती है तथा कुछ पैसों से सब्जी व फलों का ठेला लगाना चाहती है जिसकी आमदनी से वह बैंक की किस्त जमा करेगी। वह इस पैसे को अन्य किसी कार्य में उपयोग नहीं करेगी। जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।

11. पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदिका द्वारा अपने नाबालिग पुत्र रोहित यादव के भरण–पोषण एवं शिक्षा पर व्यय हेतु उसके नाम से क्रय मकान को बैंक में ऋण हेतु बंधक करने की अनुमति चाही गयी है। आवेदिका द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कहा गया है कि वह प्राप्त ऋण की धनराशि में से कुछ धनराशि सब्जी व फलों का ठेला लगाने पर खर्च करना चाहती है, जिससे प्राप्त आय से वह किस्त जमा करेगी परंतु ऐसा कोई कथन आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में नहीं किया गया है।

12. आवेदिका द्वारा कथित मकान, जो कि लघु क्षेत्रफल में है, के अतिरिक्त अन्य कोई मकान या सम्पत्ति अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम होना नहीं बताया गया है। यहां यह महत्पूर्ण है कि आवेदिका द्वारा अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के पास आय का कोई समुचित साधन होना नहीं बताया गया जिससे सम्पत्ति के बंधक होने पर किस्त की अदायगी सुचारू रूप से की जा सके। आवेदिका द्वारा अपने लड़के राहुल यादव की शिक्षा, जो प्रारम्भिक स्तर की बतायी गयी है, का खर्च ऋण लेकर करना चाहती है। आवेदिका के पुत्र की शिक्षा इस स्तर की नहीं है जिससे निकट भविष्य में कोई आय होना प्रतीत हो। ऐसी स्थिति में आवेदिका के पास ऋण की किश्तों की अदायगी का कोई समुचित साधन होना दर्शित नहीं होता है। आवेदिका द्वारा जो आय का साधन सब्जी के ठेले से आय होना बताया

गया है, वह मात्र अनुमान पर आधारित है। ऐसी स्थिति में यदि आवेदिका द्वारा कथित मकान को बंधक कर दिया जाता है तब किस्तों की अदायगी न होने की दशा में वह अपने मकान से वंचित हो सकती है जिससे उसके व उसके बच्चों के सामने निवास की एक अन्य समस्या पैदा हो जायेगी।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर आवेदिका के पुत्र रोहित यादव के नाम सम्पत्ति को बंधक किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार आवेदिका द्वारा प्रस्तुत संरक्षक वाद बलहीन होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

संरक्षक वाद संख्या–05/2026 श्रीमती संगीता यादव बनाम उ0 प्र0 राज्य आदि निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनॉक 15.07.2026

(विवेक)
जनपद न्यायाधीश
अमरोहा।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनॉकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनॉक 15.07.2026

(विवेक)
जनपद न्यायाधीश
अमरोहा।

टाईपकर्ताः इकबाल अहमद, आशुलिपिक